

प्रेस नोटथाना जहानागंजछेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.02.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त रामलखन चौहान उर्फ टप्पु पुत्र हरिशचन्द चौहान निवासी कादीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ ने वादिनी मुकदमा से छेड़खानी कर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 52/24 धारा 354/504/506 भादवि बनाम रामलखन चौहान उर्फ टप्पु पुत्र हरिशचन्द चौहान निवासी कादीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 12.02.2024 को उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामलखन चौहान उर्फ टप्पु पुत्र हरिशचन्द चौहान निवासी कादीपुर कोल्हूखोर थाना जहानागंज आजमगढ़ को सीएचसी कोल्हूखोर से समय करीब 19.35 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 52/24 धारा 354,354डी,294,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो थाना जहानागंज आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त- रामलखन चौहान उर्फ टप्पु पुत्र हरिशचन्द नि0 कादीपुर कोल्हूखोर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव, हे0का0 प्रेमशंकर, का0 कमलेश गोड़ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- जहानागंजयुवती को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 28.12.2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी की भतीजी को अभियुक्त शिवप्रकाश दुबे उर्फ पप्पू S/O रामचन्द्र दुबे निवासी बसगित थाना जहानागंज आजमगढ़ बहला फुसला कर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 569/23 धारा 366 भादवि बनाम शिवप्रकाश दुबे उर्फ पप्पू S/O रामचन्द्र दुबे निवासी बसगित थाना जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 13.02.2024 को उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवप्रकाश दुबे उर्फ पप्पू पुत्र रामचन्द्र दुबे निवासी बसगित थाना जहानागंज आजमगढ़ को परदेशी मोड़ से समय करीब 11.40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 569/23 धारा 366,354 भादवि0 थाना जहानागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- शिवप्रकाश दुबे उर्फ पप्पू पुत्र रामचन्द्र दुबे निवासी बसगित थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 367/2006 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव, हे0का0 सियाकान्त यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना देवगाँवभारतीय दुर्लभ प्रजाति कछुआ का तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.02.2024 को उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह को सूचना मिली कि तीन व्यक्ति एक भारतीय दुर्लभ प्रजाति का कछुआ लेकर बेचने हेतु छावनी मोड़ पर खड़े हैं इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह द्वारा अभियुक्त 1. राजेन्द्र पुत्र देवन ग्राम चिरकिहित थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 2. रिकेश बनवासी पुत्र मेवा ग्राम गोगही थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ व 3. छांगुर बनवासी पुत्र महेन्द्र ग्राम गोगही थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 01 भारतीय दुर्लभ प्रजाति का कछुआ बरामद कर समय करीब 05.00 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 70/2023 धारा 9/51 भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 70/2024 धारा 9/51 भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण- 01 कछुआ (भारतीय दुर्लभ प्रजाति का)

आपराधिक इतिहास- उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. राजेन्द्र पुत्र देवन ग्राम चिरकिहित थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़,
2. रिकेश बनवासी पुत्र मेवा ग्राम गोगही थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
3. छांगुर बनवासी पुत्र महेन्द्र ग्राम गोगही थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम- उ0नि0 विनय कुमार यादव, का0 मंगलदीप, का0 नन्दलाल कुशवाहा थाना देवगाँव आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज
दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 04.12.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त 1. शाहआलम पुत्र इस्लाम 2. सेराज पुत्र इस्लाम समस्त निवासी तोफापुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ 3. अवधेश पुत्र तदरी उर्फ अदरी साकिन पाण्डेय चवर झूरीगंज थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, 4. दीना यादव पुत्र दुखरन निवासी हरखपुर थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ ने वादिनी मुकदमा के साथ दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकी दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 418/23 धारा 452/366/376डी/506/328 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 13.02.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अवधेश पुत्र तदरी उर्फ अदरी साकिन पाण्डेय चवर झूरीगंज थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को सियरहा अण्डर पास से समय करीब 10.15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- अवधेश पुत्र तदरी उर्फ अदरी साकिन पाण्डेय चवर झूरीगंज थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 418/23 धारा 452/366/376डी/506/328 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 महेन्द्र मौर्या थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 आशीष यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह

बरदह क्षेत्रान्तर्गत पूर्व प्रधान की हत्या करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त तमन्चा बरामद

पूर्व की घटना – दिनांक 09.02.2024 को वादी मुकदमा चन्देलाल यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 08.02.2024 को वादी के बड़े पिता जी के लड़के रणविजय यादव पुत्र स्व0 रामखेलावन उम्र करीब 50 वर्ष (मृतक) मार्टीनगंज बाजार से सब्जी लेकर शाम करीब 4.00 बजे घर की तरफ आ रहे थे कि बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान के सामने पहुँचे जहाँ पहले से हत्या करने के ईरादे से 1. महेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव 2. विरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव 3. फुर्तीलाल यादव पुत्र रामदुलार यादव 4. सुरेश यादव पुत्र स्व0 गनेश यादव 5. रामगनी यादव पुत्र स्व0 मंगरू यादव 6. छोटेलाल यादव पुत्र श्रीपत यादव समस्त निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने मृतक रणविजय यादव की मोटर साइकिल को रोककर असलहे से फायरिंग करने लगे जिससे रणविजय यादव की मौके पर मृत्यु हो गयी। मृतक रणविजय यादव की हत्या कराने की साजिश शर्मिला पत्नी स्व0 अनिल सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने रची थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 302/120बी भा0द0वि0 बनाम 1. महेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव 2. विरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव 3. फुर्तीलाल यादव पुत्र रामदुलार यादव 4. सुरेश यादव पुत्र स्व0 गनेश यादव 5. रामगनी यादव पुत्र स्व0 मंगरू यादव 6. छोटेलाल यादव पुत्र श्रीपत यादव समस्त निवासीगण ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 7. शर्मिला पत्नी स्व0 अनिल सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्र0नि0 बरदह द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 13.02.2024 को प्र0नि0 अखिलेश मौर्य थाना बरदह जनपद आजमगढ़ मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. महेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव 2. विरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव 3. फुर्तीलाल यादव पुत्र रामदुलार यादव 4. सुरेश यादव पुत्र स्व0 गनेश यादव 5. रामगनी यादव पुत्र स्व0 मंगरू यादव 6. छोटेलाल यादव पुत्र श्रीपत यादव समस्त निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बर्मा मोड़ से कही भागने की फिराक में है। इस सूचना पर प्र0नि0 अखिलेश मौर्य मय हमराह द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को बर्मा मोड़ से समय करीब 05.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡ अभियुक्त विरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव निवासी सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर व 01 फायरशुदा खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, कमालपुर बेलवाना रोड से बरामद किया गया है जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. महेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह आजमगढ़।
2. विरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह आजमगढ़।
3. फुर्तीलाल यादव पुत्र रामदुलार यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह आजमगढ़।
4. सुरेश यादव पुत्र स्व0 गनेश यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह आजमगढ़।
5. रामगनी यादव पुत्र स्व0 मंगरू यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह आजमगढ़।
6. छोटेलाल यादव पुत्र श्रीपत यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:- 01 तमंचा 315 बोर, 01 फायरशुदा खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास-

1. महेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह आजमगढ़।
 - i. मु0अ0सं0 238/2013 धारा 147,148, 323, 325, 392, 504, 506 भादवि।
 - ii. मु0अ0सं0 45/24 धारा धारा 302/120बी/34भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट।
2. सुरेश यादव पुत्र स्व0 गनेश यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह आजमगढ़।
 - i. मु0अ0सं0 163/2013 धारा 323,324,504,506 भादवि।
 - ii. मु0अ0सं0 218/2022 धारा 323,452,504 भादवि।

iii. मु0अ0सं0 45/24 धारा 302/120बी/34भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्र0नि0 अखिलेश कुमार मौर्य थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।
2. व0उ0नि0 कमलकान्त वर्मा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।
3. हे0का0 बिहंगल यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।
4. का0 आशुतोष कुमार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।
5. का0 राजेन्द्र कुशवाहा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।
6. का0 संदीप कुमार यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।
7. म0आ0 संजू यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट

सराहनीय कार्य करने वाले 03 पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित आज दिनांक 13.02.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पूर्ण मनोयोग व कार्य कुशलता से सराहनीय कार्य करने वाले 03 पुलिस अधी0/कर्म0गण को कैम्प कार्यालय पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

➡ प्र0नि0 महाराजगंज कृष्ण कुमार गुप्ता व उ0नि0 इस्तेखार अहमद थाना महाराजगंज को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमें में 24 घण्टे के अन्दर गुमशुदा की बरामदगी की गयी जिसके सम्बन्ध में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

➡ कम्प्यूटर आपरेटर पंकज यादव थाना रौनापार द्वारा आवेदिका के खाते से फ्राड किये गये 55200/- रुपये को गम्भीर प्रयास कर वापस कराया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।